

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, केकड़ी (अजमेर) राज.

Email ID - npkekri2011@gmail.com

☎(O) : 01467-220002, 220019

web site : www.urban.rajasthan.gov.in/ulbkekri





क्रमांक : न.पा.के./ प्र.शा.के.सं.अभि.-21/2022-23/2556

दिनांक : 02.08.2022

—: एम्पावर्ड कमेटी बैठक दिनांक 02.08.2022 की बैठक कार्यवाही विवरण :—

श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर के पत्र क्रमांक प.8(ग)()नियम/डीएलबी/2021/68664 दिनांक 27.09.2021 एवं पत्र क्रमांक प. 17(1)नविवि/अभियान/2021/सं.मं.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के द्वारा "प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021" के तहत गठित एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 02.08.2022 को दोपहर 3.00 बजे कार्यालय नगरपालिका में आहूत की गई जिसमें अधिकृत कमेटी के निम्नांकित पदाधिकारी/सदस्यगण उपस्थित हुये—

1. श्री कमलेश कुमार साहू, अध्यक्ष, नगरपालिका केकड़ी।
2. श्री बसन्त कुमार सैनी, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका केकड़ी।
3. श्री घासी लाल गुर्जर, सहायक अभियंता, नगरपालिका केकड़ी।
4. श्री भागचन्द बैरवा, कनिष्ठ लेखाकार नगरपालिका केकड़ी।
5. सुश्री मंजुलता कुमारी, वरिष्ठ प्रारूपकार, नगरपालिका केकड़ी।

अध्यक्ष 
सदस्य सचिव 
सदस्य 
सदस्य 

एम्पावर्ड कमेटी में कोरम पूरा होने पर श्रीमान् अध्यक्ष महोदय नगरपालिका केकड़ी की आज्ञा से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

प्रस्ताव 01 :- राजस्व ग्राम अजगरी तहसील सरवाड के खसरा 274 रकबा 1.24 (12399.07 वर्ग मी) भूमि का फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ प्रादत तकनीकी स्वीकृति के अनुमोदन पर विचार :-

कमेटी ने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्वग्राम अजगरी तहसील सरवाड के खसरा नं. 274 रकबा 1.24 है. में फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ पुनः आवंटन प्रकरण में वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेर के पत्रांक 821 दिनांक 03.08.2022 द्वारा आवेदक श्री डा. रघु शर्मा पुत्र शिवस्वरूप शर्मा के प्रकरण में प्राप्त तकनीकी स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन की स्वीकृत एवं एकल पट्टा फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ जारी करने की स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव सं. 02 :- कृषि भूमि में पूर्व अनुमोदित योजनाओं में पट्टा प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार :-

अधिशासी अधिकारी ने कृषि भूमि में पूर्व अनुमोदित योजनाओं में पट्टा प्राप्त करने हेतु प्राप्त प्रकरण कमेटी में रखे है जो निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक/पिता का नाम	खसरा संख्या		स्वीकृत योजना	मुखण्ड नम्बर	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	प्रयोजनार्थ
		नया	पुराना				
1	श्री धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेया पुत्र शान्ती कुमार पाण्डेया	3474	3660, 3661	पालीवाल नगर	09	390.32	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
2	श्री रामदेव घोषी पुत्र रामनिवास घोषी	3945, 1233	4164	ऋषभ प्रथम	37	111.52	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
3	श्री घासी देवी पत्नि रामदेव घोषी	3944	4153	ऋषभ द्वितीय	26	111.52	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
4	श्री रामदेव माली पुत्र धुलाराम माली, बंदी देवी माली / रामनाथ माली	5339, 5340	754/1, 754/2	रूपनगर चतुर्थ	33	97.57	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
5	श्री रामदेव माली पुत्र धुलाराम माली, बंदी देवी माली / धुलाराम माली	5339, 5340	754/1, 754/2	रूपनगर चतुर्थ	12	99.44	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
6	श्री रामेश्वर प्रसाद पुत्र देवीलाल बैरवा	4070, 8792/4070	3139	न्यु बसन्त नगर कॉलोनी	19 व 20	145.54	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
7	श्री विष्णु मेवाडा पुत्र नोरत मल मेवाडा	4027	3180, 3178	शिव कॉलोनी	17 व 18 का भाग	167.28	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
8	श्रीमति सदाकवर पत्नि सीताराम चौधरी	2871/8652	5280	वर्द्धमान कॉलोनी	12, 13,14	382.03	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
9	श्री बादल बराला पुत्र सीताराम बराला	2871/8652	5280	वर्द्धमान कॉलोनी	6, 7, 8	377.80	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
10	श्री रामेश्वर प्रसाद पुत्र देवीलाल बैरवा	4072, 8792/4070	3139	न्यु बसन्त नगर कॉलोनी	21	73.00	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
11	श्री सीताराम जाट पुत्र रामचन्द्र जाट	2871/8652	5280	वर्द्धमान कॉलोनी	9, 10, 11	350.90	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय

	श्रीमता देवी पति महावीर शिव	3474	3660, 3661	पालीवाल नगर	16 का दक्षिणी भाग	55.76	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
	शिवराम उर्फ सेवाराम पुत्र मुवाना रेगर	4081	3135	शिव नगर	2 व 5	130.34	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
14	श्री आशीष खैराल पुत्र अमर चन्द खैराल	5037	748/4	जनता प्रथम	02	59.45	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
15	श्रीमति कैलाश देवी पति ओमप्रकाश बडोला	4085	3140	बसंत नगर	21	92.93	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
16	श्री कैलाशचन्द पुत्र पूरणमल झारोटिया	4081	3135	शिव कॉलोनी	32	93.72	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
17	श्री धर्मेन्द्र कुमार पुत्र पूरणमल झारोटिया	4081	3135	शिव कॉलोनी	33	93.72	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
18	श्री नोरतमल पुत्र नाथूलाल झारोटिया	4081	3135	शिवनगर कॉलोनी	39	87.66	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
19	श्री जगदीश प्रसाद पुत्र नाथूलाल झारोटिया	4081	3135	शिवनगर कॉलोनी	40	87.40	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
20	श्री लादूराम पुत्र रायमल जाट	3998	3561	न्यू कल्याण कॉलोनी	16, 17, 18	345.13	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
21	श्री लादूराम जाट पुत्र रायमल जाट	3998	3861	न्यू कल्याण कॉलोनी	19	118.84	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
22	श्री भागचन्द रेगर पुत्र बजरंग लाल रेगर	4081	3135	शिव नगर	28, 29	168.81	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
23	श्री रामप्रसाद रेगर पुत्र भागीरथ रेगर	4072, 8792/4070	3139	न्यू बसंत नगर	26	82.91	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
24	श्री रामप्रसाद रेगर पुत्र भागीरथ रेगर	4072, 8792/4070	3139	न्यू बसंत नगर	27	99.72	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
25	श्री रामप्रसाद रेगर पुत्र भागीरथ रेगर	4072, 8792/4070	3139	न्यू बसंत नगर	17	85.10	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
26	श्री बुद्धि सागर पुत्र दुर्गा शंकर शर्मा	648	528	रिद्धि सिद्धि कॉलोनी	6 व 7 का भाग	148.69	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
27	श्री रमेश कुमार धोबी पुत्र कन्हैया लाल	782, 783, 784, 785, 786	409, 408, 407 मी.	बालाजी नगर	46	96.65	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
28	श्रीमति सीता देवी पति घीसालाल राठी	2803, 2804	5347, 5342, 5343, 5344	गणपति नगर	5 व 6	222.98	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
29	श्री सीताराम कुमावत पुत्र भूरालाल कुमावत	211	4319	रतन नगर प्रथम	116	81.31	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
30	श्री भंवर लाल पुत्र हजारी बैरवा	4072, 8792/4070	3139	न्यू बसंत नगर	33	64.68	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
31	श्री हनुमान विजयवर्गीय पुत्र लक्ष्मीनारायण विजयवर्गीय	4072, 8792/4070	3139	न्यू बसंत नगर	33, 39	179.47	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
32	श्री रामेश्वर लाल पुत्र रामदयाल तेली	4142	3128	गोपाल कॉलोनी	18	87.82	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
33	श्रीमति भारती पारचे पति विशाल तेजिया	3953	4156	कृष्णा नगर	52	104.08	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
34	श्री भरत सिंह पुत्र रघुवीर सिंह	5033	750	सुभाष नगर	23 व 24	92.93	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
35	श्री सत्यनारायण पुत्र मोहनलाल नायक	4142	3128	गोपाल कॉलोनी	23	91.07	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
36	श्री चेतनलाल पुत्र गोकुलराम कासीटिया	4071	3150	भोदी नगर	01	148.69	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
37	श्री आशाराम मीणा पुत्र बंशी लाल मीणा	3944	4153	ऋषभ	29	111.52	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
38	श्रीमति कान्ता देवी पति शिवप्रकाश	4152	3104/2	जगदम्बा कॉलोनी	02	111.52	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
39	श्रीमति कमलेश कंवर पति शिवराज सिंह	5033, 5034, 5034, 5036	752	जनता कॉलोनी	36	107.80	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
40	श्रीमति खुशबु विजय पति नरेन्द्र विजय	4273	2925	वी एन कॉलोनी	24	76.20	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
41	श्री कृष्ण गोपाल शर्मा पुत्र कन्हैया लाल	3474	3660, 3661	पालीवाल नगर	19, 20	364.50	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
42	श्री रतनलाल पुत्र लादूराम	4069	3148	आनन्द नगर	22 ब	418.65	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
43	श्री महावीर प्रसाद पुत्र सत्यनारायण माली	2640, 2638/8605	3255, 3253	तिरूपति कॉलोनी	47, 48	25.74	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय

उक्त पत्रावलियों का क्र.सं. 1 से 43 तक कमेटी द्वारा एक-एक कर अवलोकन किया गया जिसमें पाया कि क्रम संख्या 1 से 43 तक पत्रावलियों में दस्तावेजों की पूर्ति, कनिष्ठ अभियंता मौका रिपोर्ट व स्वीकृत ले-आउट प्लान में होने से सभी पत्रावलियों के पट्टे जारी करने का निर्णय लिया जाता है।

3 :- भवन निर्माण स्वीकृति के प्राप्त आवेदनों पर विचार :-

प्रशासी अधिकारी ने भवन निर्माण स्वीकृति के प्रकरण कमेटी में रखे है जो निम्नानुसार है :-

1. श्री कैलाशचन्द्र रेगर पुत्र घीसालाल रेगर, प्लाट नं. 53, विनायक नगर प्रथम अजमेर रोड केकडी।
2. श्री देवानन्द पुत्र हरदासमल सिंधी, प्लाट नं. 3 न्यू विनायक नगर कॉलोनी अजमेर रोड केकडी।
3. श्री श्यामलाल बैरवा पुत्र रामनाथ बैरवा, भाग्योदय नगर तृतीय अजमेर रोड केकडी।
4. श्री कल्पित जैन पुत्र राजकुमार जैन, महावीर नगर राजपुरा का रास्ता प्लाट नं. 46 केकडी।
5. श्रीमती नोरती देवी पत्नी रामधन तेली, प्लाट नं 2, प्रकाश कॉलोनी केकडी।
6. श्री रामस्वरूप बैरवा पुत्र लखमा राम बैरवा, प्लाट नं 04 ऋषभ कॉलोनी द्वितीय केकडी।
7. श्रीमती प्रकाश कंवर पत्नी निर्भय सिंह राजपूत, भाग्योदय नगर प्रथम अजमेर रोड केकडी।
8. श्रीमती सीता पचोरी पत्नी श्यामलाल पचोरी, बसंत विहार कॉलोनी केकडी।
9. श्री शिवनारायण जाट पुत्र रामकुंवार जाट, प्लाट नं 20 न्यू कल्याण कॉलोनी अजमेर रोड केकडी।
10. श्री शिवराज मेवाडा पुत्र रतनलाल मेवाडा, प्लाट नं 3 न्यू कल्याण कॉलोनी केकडी।
11. श्री शिवराज मेवाडा पुत्र रतनलाल मेवाडा, प्लाट नं 4 न्यू कल्याण कॉलोनी केकडी।
12. श्री शिवराज मेवाडा पुत्र रतनलाल मेवाडा, प्लाट नं 23 वीएम कॉलोनी राजपुरा रोड केकडी।

उक्त प्रत्येक पत्रावलीयों का कमेटी द्वारा अवलोकन किया जाकर जिसमे क्रम संख्या 1 से 12 तक पत्रावलीयों में संलग्न दस्तावेजों के आधार पर, कनिष्ठ अभियंता तथा वरिष्ठ प्रारूपकार की प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भवन निर्माण स्वीकृति जारी करने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया जाता है।

प्रस्ताव 04 :- रघु कॉलोनी अजमेर रोड खसरा नं 3196 के रकबा में 69 ए के तहत पट्टे दिये जाने पर विचार :-

अधिशायी अधिकारी ने कमेटी में अवगत करवाया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021-22 के दौरान रघु कॉलोनी वासियों द्वारा 69 ए के तहत पट्टा चाहने हेतु पत्रावलियां प्रस्तुत की हुई है। जो सदन में अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

अधिशायी अधिकारी ने बताया कि रघु कॉलोनी जो खसरा नं 3196 जिसके नवीन खसरा नं 4105 रकबा 0.72 हैक्टर जो नगरपालिका केकडी के नाम दर्ज है। उक्त खसरा नं वर्ष 1941 से वर्ष 2001 तक राजस्व रिकोर्ड में किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज है। जमाबंदी वर्किंग संवत् 2041 वर्ष 1984 में खसरा नं 3196 रकबा 4 बीघा 8.5 बिसवा भूमि खातेदार के नाम व किस्म आबादी दर्ज है। जिसमें नगरपालिका केकडी द्वारा दिनांक 30.04.1990 को श्री रघुराज सिंह पुत्र श्री ठाकुर सवाई शिवराज सिंह को एनओसी जारी की गई है। एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय केकडी द्वारा दिनांक 18.05.2021 को खसरा नं 3196 की किस्म आबादी भूमि होने से उक्त भूमि को नगरपालिका केकडी के नाम आबादी भूमि दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा रिकोर्ड वर्ष 2001 में साबिक खसरा नं 3196 के हाल खसरा नं 4105/0.72 हैक्टर भूमि की किस्म सहवन से आबादी के स्थान पर बारानी उत्तम दर्ज कर दिया गया। वर्तमान में हाल खसरा नं 4105/0.72 हैक्टर वर्ष 1990-91 से रघु कॉलोनी बसी हुई है एवं आबाद है। उक्त खसरा नं वर्तमान रिकोर्ड में नगरपालिका केकडी के नाम दर्ज है एवं किस्म बारानी उत्तम दर्ज है। उक्त प्रकरण में पालिका द्वारा पत्रांक 1428 दिनांक 16.06.2022 के द्वारा खातेदारी अधिकार समाप्त करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रारूप 6 नियम 6(5) के तहत आदेश जारी किये गये है, जिसकी प्रति तहसीलदार केकडी को प्रेषित की गई है।

अधिशायी अधिकारी ने यह भी बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के दौरान जारी मार्गदर्शिका में जारी आदेश प.8(ग)() (PSKS) अभियान-2021 नियम/डीएलबी/21/22969 दिनांक 29.10.21 के अनुसार शहर की चारदीवारी, पुरानी आबादी, निजी अकृषि भूमि/आबादी भूमि, राजा-महाराजाओ/उनके परिवार जागीरदारो द्वारा विक्रय की गयी आबादी, ग्राम पंचायत, कस्टोडियन आदि के पट्टे व ग्रामीण/नगरीय क्षेत्र भूमि रूपान्तरण नियम 1971, 1981, 1992 एवं 2007 के अंतर्गत जारी किये गये आवासीय पट्टे या संपरिवर्तन आदेश की सम्पत्तियों के दिनांक 31.12.18 तक की सम्पत्तियों के फ्री होल्ड पट्टे 501/-रु में दिये जाने का प्रावधान किया गया है। तथा मार्गदर्शिका 5 के आदेश 21.04.22 व स्पष्टीकरण प. 17(1)नवि/अभियान/2021 दिनांक 21.04.2022 के प्रावधान अनुसार बिन्दु सं 11 में निकायों के नाम दर्ज भूमि की किस्म आबादी नहीं होने पर पट्टे देने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किये गये है कि ऐसे आबादी क्षेत्र जिसकी किस्म राजस्व रिकोर्ड में आबादी नहीं है तो राजस्व विभाग के पत्र दिनांक 17.12.19 के अनुसार किस्म प्रासंगिक नहीं है। यदि किस्म प्रतिबंधित श्रेणी व वाटरबॉडी नहीं है तो फ्री होल्ड पट्टे दिये जा सकेंगे।

कमेटी द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के दौरान जारी मार्गदर्शिका 1 से 5 तक का अवलोकन किया। समय-समय पर मार्गदर्शिका में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उक्त अकृषि भूमि पर मौके

दा भूम का राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का धारा 69 ए के तहत रुल्फ 501/-रु न
में पट्टे दिये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया गया। एवं उक्त कॉलोनी की पट्टे
पत्रावलियां प्राप्त हुई है जो निम्नानुसार है-

क्र.सं.	आवेदनकर्ता व पिता का नाम	भूखण्ड सं	प्रयोजन
1	श्री यज्ञनारायण सिंह पुत्र नवरतन सिंह	31	आवासीय
2	श्रीमति सुनिता मून्डडा पत्नि रमेशचन्द्र	16	आवासीय
3	श्री अशोक कुमार विजयवर्गीय	28 व 28 ए	आवासीय
4	श्रीमति आशा राठौड पत्नि शिवरतन सिंह	9	आवासीय
5	श्री दुल्हे सिंह पुत्र रघुराज सिंह	3	आवासीय
6	श्री यशवंत बेली पुत्र रामस्वरूप	14, 19	आवासीय
7	श्री कंचन देवी पत्नि अशोक कुमार	18	आवासीय
8	श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र नन्द सिंह	1	आवासीय
9	श्री शिवरतन सिंह पुत्र रघुराज सिंह	5	आवासीय

कमेटी द्वारा क्रम सं 1 से 9 तक की प्रत्येक पत्रावलियों में सम्मिलित दस्तावेजों का अवलोकन किया। एवं मौके की कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट के आधार पर 69 ए के तहत 501/-रु राशि पर पट्टा दिये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया गया।

प्रस्ताव 05 :- न्यू शास्त्री नगर अजमेर रोड खसरा नं 3193 के रकबा में 69 ए के तहत पट्टे दिये जाने पर विचार :-

अधिशायी अधिकारी ने कमेटी में अवगत करवाया कि वर्तमान खसरा नं 8935/4103 रकबा 0.66 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन आबादी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में मनीष पुत्र कान्तिचंद वगैरह कटारिया की खातेदारी में दर्ज है। जिसमें न्यू शास्त्री नगर कॉलोनी अजमेर रोड पर बसी हुई है। उक्त खसरा नं के पुराने खसरा नं 3193 है जो जमाबंदी फसली सन् 1349 अर्थात वर्ष 1941 से वर्ष 2000-01 तक राजस्व रिकॉर्ड में किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2016 से 2019 अर्थात वर्ष 1959 से 1963 में भूरालाल वगैरह बोहरा कौम ब्राह्मण की खातेदारी में दर्ज है एवं किस्म आबादी दर्ज रिकॉर्ड है। संवत् 2027-28 वर्ष 1970-71 के राजस्व नक्शे में भी खसरा नं 3193 में आबादी का चिह्न बना हुआ है। एवं वर्ष 1984 अर्थात संवत् 2041 की वर्किंग जमाबंदी में भी उक्त खसरा नं 3193 रकबा 7 बीघा 4 बिसवा भूमि राजकीय भूमि के खाता के पार्ट निवास स्थान नगरपालिका बस्तियां दर्ज है एवं किस्म आबादी दर्ज है। भू- प्रबंध विभाग द्वारा प्राप्त रिकॉर्ड 2000-01 में हाल खसरा नं 4103/1.17 हैक्टर सरकारी खाते में आबादी के स्थान पर बरानी उत्तम दर्ज कर दी गई। जिसमें उपखण्ड अधिकारी महोदय केकडी के आदेश क्रमांक 7 दिनांक 23.09.2011 से जरिये दुरुस्ती हाल खसरा नं 8935/4103 रकबा 0.66 हैक्टर को साबिक रिकॉर्ड अनुसार बरानी उत्तम के स्थान पर किस्म आबादी दर्ज किया गया जो वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में किस्म आबादी दर्ज है। एवं नामान्तरण सं 2927 दिनांक 26.09.13 से जरिये इन्द्राज दुरुस्ती के खसरा नं 8935/4103 रकबा 0.66 हैक्टर को नगरपालिका केकडी के स्थान पर रूपचंद वगैरह कटारिया के नाम खातेदारी दर्ज की गयी। अधिशायी अधिकारी ने अवगत करवाया कि उक्त खातेदार के अधिकार समाप्त करने हेतु प्रारूप 6 नियम 6(5) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 क के अधीन भूमि के अधिकारों के अभ्यर्पण की मंजूरी की अनुज्ञा पत्रांक 1429 दिनांक 16.06.22 को जारी की गई जिसकी प्रति तहसीलदार साहब केकडी को प्रेषित की गई है। फलस्वरूप उक्त भूमि नगरपालिका केकडी के नाम खसरा नं 8935/4103 रकबा 0.66 हैक्टर गैर मुमकिन आबादी दर्ज की गयी।

अधिशायी अधिकारी ने यह भी बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के दौरान जारी मार्गदर्शिका में जारी आदेश प.8(ग)() (PSKS) अभियान-2021 नियम/डीएलबी/21/22969 दिनांक 29.10.21 के अनुसार शहर की चारदीवारी, पुरानी आबादी, निजी अकृषि भूमि/आबादी भूमि, राजा-महाराजाओ/उनके परिवार जागीरदारों द्वारा विक्रय की गयी आबादी, ग्राम पंचायत, कस्टोडियन आदि के पट्टे व ग्रामीण/नगरीय क्षेत्र भूमि रूपान्तरण नियम 1971, 1981, 1992 एवं 2007 के अंतर्गत जारी किये गये आवासीय पट्टे या संपरिवर्तन आदेश की सम्पत्तियां के दिनांक 31.12.18 तक की सम्पत्तियों के फ्री होल्ड पट्टे 501/-रु में दिये जाने का प्रावधान किया गया है। तथा मार्गदर्शिका 5 के दिनांक 21.04.22 के आदेश व स्पष्टीकरण प. 17(1)नवि/अभियान/2021 दिनांक 21.04.2022 के प्रावधान अनुसार बिन्दु सं 8, 12, 17 एवं संशोधित परिपत्र क्रमांक 73007 दिनांक 12.11.21 बिन्दु सं 3(ग)(1) में भी आदेश प्रदान किये हुए है।

कमेटी द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के दौरान जारी मार्गदर्शिका 1 से 5 तक का अवलोकन किया। समय-समय पर मार्गदर्शिका में जारी दिशा निर्देशों के अवलोकन पर उक्त अकृषि भूमि पर मौके पर बसी आबादी भूमि का राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 ए के तहत जारी आदेशों के

शास्त्री नगर में पट्टे 501/-रु शुल्क पर दिये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया गया।
शाही अधिकारी ने उक्त कॉलोनी की पट्टे चाहने संबंधी पत्रावलियां प्रस्तुत की जो निम्नानुसार है-

सं.	आवेदनकर्ता व पिता का नाम	भूखण्ड सं	प्रयोजन
1	श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र माणकचन्द कोठारी	25	आवासीय
2	श्री रविन्द्र सिंह पुत्र गिरधर सिंह शक्तावत	36	आवासीय
3	श्री रिखबचन्द जैन पुत्र मांगीलाल जैन	11, 14	आवासीय
4	श्री रिखबचन्द जैन पुत्र मांगीलाल जैन, श्रीमति तारा देवी जैन पत्नि रिखबचन्द जैन	12, 13	आवासीय
5	श्री अशोक कुमार सिंहल पुत्र रतनलाल सिंहल	29, 30	आवासीय
6	श्री बहादुर सिंह शक्तावत पुत्र भगवान सिंह शक्तावत	39 बी	आवासीय
7	श्री राकेश जोशी पुत्र हरीचन्द्र जोशी	16, 17, 18	आवासीय
8	श्रीमति उर्मिला देवी पत्नि धर्मीचन्द न्याति	22	आवासीय
9	श्री अशोक रंगवानी पुत्र रतनचन्द रंगवानी	19	आवासीय
10	श्री संदीप रंगवानी पुत्र रतनचन्द रंगवानी	18	आवासीय
11	श्रीमति सोना कंवर पत्नि लक्ष्मण सिंह	24	आवासीय
12	श्री रामगोपाल पुत्र गणेशीलाल जैतवाल	5	आवासीय
13	श्रीमति बिरदी देवी पत्नि रामगोपाल जैतवाल	6	आवासीय
14	श्रीमति बतुल बाई पत्नि चांद मौहम्मद	10 बी	आवासीय
15	श्री अमर सिंह पुत्र भगवान सिंह	39 ए	आवासीय
16	श्री रघुनन्दन सिंह पुत्र भगवान सिंह	38 बी	आवासीय
17	श्री अमर सिंह पुत्र भगवान सिंह	38 ए	आवासीय

कमेटी द्वारा कम सं 1 से 17 तक की प्रत्येक पत्रावलियों में सम्मिलित दस्तावेजों का अवलोकन किया। एवं मौके की कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट के आधार पर 69 ए के तहत 501/-रु राशि पर पट्टा दिये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया गया।

प्रस्ताव 06 :- नाम हस्तान्तरण के प्राप्त प्रकरणों पर विचार :-

अधिशासी अधिकारी ने नाम हस्तान्तरण के प्रकरण कमेटी में रखे है जो निम्नानुसार है :-

1. श्रीमती रेखा खण्डेलवाल पत्नी नागेन्द्र खण्डेलवाल, विजयवर्गीय मोहल्ला केकड़ी।
2. श्रीमती मैना देवी पत्नी सुनिल कुमार गुप्ता, शांतिनाथ नगर द्वितीय केकड़ी।
3. श्री बलवंत सिंह राव पुत्र रामसिंह राव व श्रीमती प्रियंका सिंह पत्नी बलवंत सिंह, भाग्योदय नगर प्रथम केकड़ी।
4. श्री पुरुषोत्तम काबरा पुत्र स्व. हीरालाल काबरा, चौकडीवाल कॉलोनी दण्ड का रास्ता केकड़ी।
5. श्री पुरुषोत्तम काबरा पुत्र स्व. हीरालाल काबरा, चौकडीवाल कॉलोनी दण्ड का रास्ता केकड़ी।
6. श्रीमती सीमा काबरा पत्नी दिनेश कुमार काबरा, चौकडीवाल कॉलोनी दण्ड का रास्ता केकड़ी।
7. श्री कुशलचंद शर्मा पुत्र स्व. कृष्णचन्द शर्मा, बोहरा कॉलोनी केकड़ी।

कमेटी द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त आवेदनों में सम्मिलित दस्तावेजों का अवलोकन किया जाकर श्रीमान निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15.01.2020 के अन्तर्गत एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 में जारी आदेश दिनांक 29.10.2021 के अनुसार नाम हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति/अनुमोदन करने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया गया।

इसके पश्चात् सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

(कमलेश कुमार साहू)
अध्यक्ष
नगरपालिका केकड़ी

(घासी लाल गुजर)
सहायक अभियन्ता
नगर पालिका, केकड़ी

(बसन्त कुमार सैनी)
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका केकड़ी

(मिनि घन्ड बरवा)
कनिष्ठ लेखाकार
नगरपालिका केकड़ी


MYP
(मन्जूलता कुमारी)
वरिष्ठ प्रारूपकार
नगरपालिका केकड़ी

दिनांक : 02.08.2022

क्रमांक : न.पा.के./ प्र.शा.के.सं.अभि.-21 / 2022-23 / 2557-59

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् निदेशक महोदय स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. श्रीमान् उपनिदेशक महोदय (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर।
3. श्रीमान् सहायक नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, अजमेर।
4. श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका केकड़ी।
5. सम्बन्धित शाखा प्रभारी, नगरपालिका केकड़ी।
6. संरक्षित पत्रावली।


(बसन्त कुमार सैनी)
सदस्य सचिव, एम्पावर्ड कमेटी
एवं अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका केकड़ी